

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी-

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस

मिसल संख्या:- 538/2021

-:आदेश:-

दिनांक 16-11-2021

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं सरपंच ग्राम पंचायत घरेडा व तहसीलदार बुहाना की अभिशांषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम घरेडा पटवार मण्डल घरेडा की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 119, 120 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	घरेडा	119 120	कृष्ण कुमार पुष्ट सावंल	कृष्ण कुमार पुष्ट सावंतराम

नोट - रहन यदि कोई हो तो निर्णय/आदेश की पालना रहनमुक्त के पश्चात करे।

क्रमांक :- राजस्व/2021/ 319-20  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को वास्ते प्रालनार्थ (दो प्रति)
2. प्रार्थी कृष्ण कुमार पुष्ट पिता का नाम सावंतराम सावंल को सूचनार्थ।

निवासी घरेडा

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

जिला झुझुनूं (राज0)

16/11/2021

उपखण्ड अधिकारी बुहाना

उपखण्ड अधिकारी

एवं पदेन सहायक कलक्टर  
बुहाना जिला-झुझुनूं (राज0)